


89

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा



अवधेश प्रसाद तनय हीरालाल चतुर्वेदी उम्र 66 वर्ष निवासी ग्राम पहरखा

हसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0आवेदक

पुनःस्थापना रीवा भू. 210/2017/1939
बनाम

सन म0प्र0 पटवारी हल्का पहरखा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0।

.....अनावेदक

माननीय न्यायालय के प्रकरण क्रमांक
आर-2881 द्वितीय/12 अवधेश प्रसाद
बनाम शासन पटवारी हल्का पहरखा मे
पारित अदम पैरवी आदेश दिनांक
24/05/2017 निरस्त किया जाकर
निगरानी प्रकरण को पुनः नंबर पर लिये
जाने बावत आवेदन पत्र।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3)

म0प्र0 भू0रा0सं0

मान्यवर,

आधार आवेदन पत्र निम्न है :-

1. यहकि उक्त उन्मान का निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/05/2017 को तारीख पेशी नियत थी पुकार के समय आवेदक एवं उसके अधिवक्ता के अनुपस्थिती के कारण प्रकरण अदम पैरवी मे निरस्त कर दिया गया है।
2. यह कि निगरानी प्रकरण की पैरवी हेतु आवेदक द्वारा श्री निवास सिंह को अधिवक्ता नियुक्ति किया गया था आवेदक के पूर्व अधिवक्ता श्री निवास सिंह जी के द्वारा आवेदक को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने से छूट दी गयी थी तथा यह कहा गया था कि



श्री हल्का पहरखा
तहसील
पहरखा 27-5-17
कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल 40 प्र० ग्वाबिपर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

अवधेश चतुर्वेदी / म. उ. शाखा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्त
<p>20/7/17</p>	<p>आवेदन आभार का - 6/7/17 आ. 2881-11/12 @ डिवा. का. 2881-11/12 का पुनः मसुदा प. ल. किया जाये</p> <p>2- आवेदन आभार का 6/7/17 का पुनः मसुदा आ. 2881-11/12 का पुनः मसुदा आ. 2881-11/12 का पुनः मसुदा आ. 2881-11/12 का पुनः मसुदा आ. 2881-11/12 का पुनः मसुदा</p>	<p>20.7.17</p>